

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

4 अगस्त को 82 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 04 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^०चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 04 अगस्त बुधवार को 82 टन कचरा जुलवानिया टे^०चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

04 अगस्त बुधवार को डम्पर व टे^०क्टर ट्रॉली से 35940ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 29965ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14240ए मैजिक 1955 किलो इस तरह कुल 82100 किलो कचरा जुलवानिया टे^०चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

स्पॉट फाईन दल के 5 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 04 अगस्त। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा भ्रमण के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों की दुकानों के बाहर खुले में कचरा व गंदगी पाये जाने व स्पॉट फाईन दल कहीं भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने पर स्पॉट फाईन के 5 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र जारी किया गया।

स्पॉट फाईन दल की इयूटी शहर में गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु लगायी गयी है किन्तु भ्रमण के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों की दुकानों के बाहर खुले में कचरा व गंदगी पाये जाने पर स्पॉट फाईन दल के मनोज टांकए पवन झांझोटए मनोज झांझोटए राकेश ललावत व आकाश शिन्दे का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

आज 10 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड
नगर निगम द्वारा अब तक 5924 आयुष्मान कार्ड बनाये गये
रतलाम 04 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम
श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' ' '
योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के
आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

05 अगस्त गुरुवार से कमर्शियल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान
गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बिरयाखेड़ीए जूनियर प्राथमिक उपभोक्ता
भंडार अटैच दुकान नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार आनंद कॉलोनीए
सीनियर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान अंबिका प्राथमिक
उपभोक्ता भंडार थावरिया बाजारए गंगोत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार
अटैच दुकान दुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार जाटों का वासए
चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भंडार रामगढ़ए जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार
सुभाष नगर 98 हाट की चौकीए फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच
दुकान केशव प्राथमिक उपभोक्ता भंडारए भारतीय प्राथमिक उपभोक्ता भंडार
अटैच दुकान महालक्ष्मी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार ईदगाह रोडए माधव
प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शक्तिनगर तथा श्रद्धा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार
अटैच दुकान पद्मावती प्राथमिक उपभोक्ता भंडार प्रताप नगर पर पात्र
हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों
के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 04 जुलाई बुधवार को 288
पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार
गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 5924
आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे
आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता
पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने
की कार्यवाही संपादित करवायें।

4 स्थानों पर होगा आज टीकाकरण

रतलाम 04 अगस्त। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 5 अगस्त गुरुवार को 1 वैक्सीनेशन सेन्टर पर को वैक्सीन का सेकेण्ड डोज आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर व 3 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौविशील्ड का सेकेण्ड डोज अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए काश्यप सभागृह व न्यू कलेक्टोरेट कार्यालय (सिर्फ विदेश यात्रा करने वाले नागरिक) हेतु नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है को वैक्सीन का प्रथम टीका लगवाकर 28 दिन पूर्ण करने वाले व कौविशील्ड का प्रथम टीका लगवाकर 84 दिन पूर्ण करने वाले नियत वैक्सीनेशन सेन्टर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर सेकेण्ड डोज का टीका अनिवार्य रूप से लगवायें।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें
रतलाम 04 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक ए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1194 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 04 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों ए सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 04 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1194 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 अगस्त को नजर बाग ए बैंक कालोनी ए महलवाड़ा ए सैलाना रोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों ए सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे

किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 17 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 04 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 04 अगस्त को 17 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर संजयए गिरीश अलकापुरी पर 500.500ए कान्हसिंह सूर्यवंशीए प्रियंकाए विनोदए दिलीपए अर्जून शहर सरायए रतनलालए लालाभाईए प्रकाशए तोपखानाए जयए चंदनए राजूए शांति पाटीदारए ए पुरोहित सैलाना बस स्टैण्डए जीवनलालए रतनसिंह चौमुखीपुल पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए किरण चौहानए विनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री विनय चौहान मो.नं.

8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 04 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट

मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेडी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु

दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 04 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने

निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/04०8०2021धन.पा.निगमए रतलाम.